Order Sheet [Contd] Case No 181/2017 बी.ए

	Case NO 101	1/ 2017 91.5
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
18.05.2017	राज्य की ओर से श्री वीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अमियोजक। आरोपी कृष्णा की ओर से श्री एम.एल.मुदगल अधिवतता। अयेदक / अमियुक्त कृष्णा की ओर से प्रस्तुत आयेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फी0 पर उमय पक्षों को सुना गया। अयेदनपत्र में प्रार्थना की है कि वर्तमान आयेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फी0 प्रथम नियमित जमानत आयेदनपत्र है। आयेदन में आगे नियेदन किया है कि पुलिस थाना गोहद चौराहा के द्वारा विरोधियों की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अमराध पंजीबद्ध कर दिनांक 05.10.16 को गिरफ्तार लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है और उक्त मामला मात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर है जिसमें कि अभियोजन साक्ष्य होना प्रारंभ हो गयी है जिसमें कि फरियादी के कथन हो चुके है। आयेदक स्थाई निवासी है जिसके भागने की संभावना नहीं है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का नियेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आयेदनपत्र का विरोध करते हुए आयेदनपत्र निरस्त करने का नियेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। आयेदक / अमियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अन्यधिक वल दिया है कि प्रकरण में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है। आयेदक / अमियुक्त को केवल संदेह के आधार पर झूठा फंसाया है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है और इन्हीं आधारों पर जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है। यह सही है कि अभियोजन की ओर से प्रशन्त मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में प्रस्तुत करने संबंधी गंभीर आरोप है। साथ ही अभियोजन कथानक अनुसार घटना के पूर्व आयेदक / अमियुक्त मृतक के साथ शास पीते हुए देखा गया है। अतः प्रकरण में आयेदक / अमियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत न होने से आयेदनम्त्र अंतर्गत धारा 439 जा0फी० निरस्त किया जाना उचित प्रतीत न होने से आयेदनम्त्र अंतर्गत धारा 439 जा0फी० निरस्त किया जाना उचित प्रतीत न होने से आयेदनम्त्र अंतर्गत धारा 439 जा0फी० निरस्त किया जाना उचित प्रतीत न होने से अपर सत्र न साक्ष्य हेतु पूर्वित दिनाक 29,30-05-17 को पेश हो।	A TATE OF THE PARTY OF THE PART